[1][Rule 8 : The proportion of value attributable to different States or Union territories, under sub-section (7) of section 13 of the said Act, in the case of supply of services directly in relation to an immovable property

The proportion of value attributable to different States or Union territories, under sub-section (7) of section 13 of the said Act, in the case of supply of services directly in relation to an immovable property, including services supplied in this regard by experts and estate agents, supply of accommodation by a hotel, inn, guest house, club or campsite, by whatever name called, grant of rights to use immovable property, services for carrying out or co-ordination of construction work, including that of architects or interior decorators, where the location of the supplier of services or the location of the recipient of services is outside India, and where such services are supplied in more than one State or Union territory, in the absence of any contract or agreement between the supplier of service and recipient of services for separately collecting or determining the value of the services in each such State or Union territory, as the case maybe, shall be determined by applying the provisions of rule 4, *mutatis mutandis*.]

---

1 Rule 8 inserted by Noti. No. 04/2018–Integrated Tax, dt. 31-12-2018 w.e.f. 01-01-2019.

[1][नियम 8 : धारा 13(7) के अधीन, स्थावर संपत्ति के संबंध में प्रत्यक्ष रुप से सेवाओं, जिसके अंतर्गत विशेषज्ञों और संपदा अभिकर्ताओं द्वारा इस संबंध में प्रदाय की गई सेवाएं

उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के अधीन स्थावर संपत्ति के संबंध में प्रत्यक्ष रुप से सेवाओं, जिसके अंतर्गत विशेषज्ञों और संपदा अभिकर्ताओं द्वारा इस संबंध में प्रदाय की गई सेवाएं भी है, का प्रदाय किसी होटल, सराय, अतिथि–गृह, क्लब या शिविर स्थान, चाहे वे किसी नाम से ज्ञात हो, द्वारा आवास का प्रदाय, स्थावर संपत्ति के उपयोग के अधिकार प्रदान करने, संनिर्माण कार्य को करने या उसके समन्वय के लिए सेवाएं, जिसके अंतर्गत वास्तुविदों या आंतरिक सज्जाकार की सेवाएं भी है, के मामले में, जहां सेवाओं के प्रदाय का अवस्थान या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत से बाहर है और जहां ऐसी सेवाएं यथास्थिति, प्रत्येक ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में सेवाओं का मूल्य पृथक रुप से संगृहीत करने या अवधारण करने के लिए सेवाओं के प्रदायकर्ता या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में, भिन्न–भिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदाय योग्य मूल्य का अनुपात आवश्यक परिवर्तनों सहित, नियम 4 के उपबंधों को लागू करके अवधारित किया जाएगा।]

---

1 नियम 8 अधिसूचना क्रमांक 4/2018–एकीकृत कर, दिनांक 31.12.2018 एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018, द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावषील दिनांक 01.01.2019)।
राजपत्र में शीर्षक नहीं दिये गये है। शीर्षक लेखक द्वारा दिये गये है।